



राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर

सी-7(ए) सुल्तान हाउस सवाई जयसिंह हाईवे बनीपार्क जयपुर -302016
Website : rajasthanparamedicalcouncil.org, Contact : 0141-2973804
Email-id pmcrajasthangov.in@gmail.com, Contact : 0141-4004914

क्रमांक:पं. 99 / पैरामेडि.कौ / मान्यता / 2022 / 419

दिनांक :- 03/06/2022

—:कार्यालय आदेश:—

Dr. Mamta Paramedical Institute Near Babosha Murti on Bissau Road, Churu Rajasthan को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 2075 दिनांक 16.11.2017 संस्थान को डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेट्री टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन रेडियेशन टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा पैरामेडिकल पाठ्यक्रम संचालन हेतु 25 सीटों की अस्थाई मान्यता दी गई थी।

Dr. Mamta Paramedical Institute Churu का नाम मरुधरा इन्स्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइन्सेज चुरू करने हेतु आवेदन प्राप्त होने पर इस कार्यालय के पत्र क्रमांक क्रमशः 390, 391 दिनांक 19.05.2022 संस्थान प्रधान एवं सचिव सोसायटी डॉ. ममता स्वास्थ्य एवं तकनीकी शिक्षा संस्थान, सिंघाना, झुंझुनू को जारी कर राजस्थान सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 की धारा 12'क', 12'ख' कार्यवाही कर तथ्यात्मक रिपोर्ट चाही गई। संस्था प्रधान एवं सचिव डॉ. ममता स्वास्थ्य एवं तकनीकी शिक्षा संस्थान, सिंघाना, झुंझुनू व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुये डॉ. ममता स्वास्थ्य एवं तकनीकी शिक्षा संस्थान, सिंघाना, झुंझुनू के सचिव द्वारा मान्यता के आवेदन एवं संस्थान के संचालन के संबंध में शंका जाहिर की तथा संबंधित दस्तावेजों की प्रतियाँ चाही गई। जबकि संस्था प्रधान द्वारा उनका विरोध किया गया। उपरोक्त विरोधाभास की स्थिति को स्पष्ट करने हेतु संस्थान सचिव डॉ. युद्धवीर सिंह ने संस्था की ओर से माननीय उच्च न्यायालय में याचिकाकर्ता भी रहे हैं, उनको पत्र क्रमांक 405 दिनांक 30.05.2022 जारी किया गया।

संस्थान सचिव डॉ. युद्धवीर सिंह ने उपस्थित होकर अभ्यावेदन प्रस्तुत कर लेख किया कि संस्थान का संचालन पार्टनरशिप के अंतर्गत किया जा रहा है, तथा निवेदन किया गया कि संस्था को सोसायटी के अंतर्गत संचालित करने से संबंधित कार्यवाही करने एवं संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु 20 दिवस का अवसर प्रदान किया जावे।

संस्था सचिव एवं सचिव सोसायटी डॉ. ममता स्वास्थ्य एवं तकनीकी शिक्षा संस्थान, सिंघाना, झुंझुनू द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का परिशीलन करने तथा उनके तर्कों को सुनने के उपरान्त संस्थान के विधिवत् संचालन पर विरोधाभास होने से प्रश्न चिन्ह लग गया है। जब तक संस्थान को विधिवत् संचालन करने का समाधान कर कौंसिल को पर्याप्त प्रतिभूति के रूप में दस्तावेज नहीं दे दिये जाते तब तक संस्थान को छात्र आवंटन किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन को मध्येनजर रखते हुये Dr. Mamta Paramedical Institute Near Babosha Murti on Bissau Road, Churu Rajasthan को डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेट्री टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन रेडियेशन टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा पैरामेडिकल पाठ्यक्रम में शैक्षणिक सत्र 2021-22 से छात्र आवंटन पर अस्थाई रोक लगाई जाती है।

(कैलाश नारायण मीना)

R.A.S.

रजिस्ट्रार

क्रमांक:पं. 99 / पैरामेडि.कौ / मान्यता / 2022 / 419

दिनांक:- 03/06/2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रधानाचार्य, (Dr. Mamta Paramedical Institute Near Babosha Murti on Bissau Road, Churu.)
2. सचिव डॉ. ममता स्वास्थ्य एवं तकनीकी शिक्षा संस्थान, सिंघाना, झुंझुनू।
3. लेखा/काउन्सलिंग/परीक्षा/विधि/पंजीयन/स्टोर शाखा कार्यालय हाजा को पालनार्थ।
4. सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करवाने का श्रम करावे।
5. रक्षित पत्रावली।

रजिस्ट्रार